बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक 1938 पटना, दिनांक– 15/12/16

सं0सं0– ह0क0(10) बु0क0स0–03 / 2016

प्रेषक,

निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम–सह–सदस्य सचिव
बिहार बुनकर कल्याण समिति, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,
बांका / नालन्दा / नवादा / औरंगाबाद / सासाराम / सीवान / मधुबनी / पटना / पश्चिम चम्पारण / खगड़िया / मुजफ्फरपुर / रोहतास / समस्तीपुर।
उप विकास पदा0(वस्त्र)
गया / भागलपुर।

विषय– बुनकर कल्याण कोष से अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रिमियम राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दि0–24.06.2016 की बैठक की कार्यवाही संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त बैठक की कंडिका–12–(i) में निर्णय लिया गया है कि "सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बुनकरों के अंशदान की प्रतिपूर्ति बुनकर कल्याण कोष से किया जाए"। उक्त निर्णय के आलोक में दोनों योजनाओं से संबंधित दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया और बुनकरों से लिये जाने वाले आवेदन का विहित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतएव अनुरोध है कि वैसे बुनकर जो अटल पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में या किसी एक योजनान्तर्गत बैंक में पंजीकृत हों, का विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करेंगे। योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश एवं विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक की स्थल जाँच कर मूल अभिलेखों से मिलान कर राशि प्रतिपूर्ति हेतु अनुशंसा करेंगे, तथा वांछित राशि की माँग करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन बुनकरों के आवेदन की अनुशंसा उनके द्वारा की जा रही है वें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन / सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।

अनु0–यथोक्त।

9/12/16
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम–सह–सदस्य सचिव
बिहार बुनकर कल्याण समिति, पटना।

D:\Dilip kumar\2016\Aanand jee\ letter docx

विहित प्रपत्र

बुनकर कल्याण कोष से अटल पेंशन योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा येाजना के प्रिमियम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र

1. जिला एवं प्रखण्ड का नामः–
2. आवेदन का नाम (श्री/श्रीमती):–
3. जन्म तिथिः–
4. लिंग (पुरूष/महिला):–
5. वर्त्तमान निवास का पताः–
6. स्थाई निवास का पताः–
7. मोबाइल नं0–
8. बुनकर पहचान पत्र का नं0 (स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)–
   (व्यक्तिगत बुनकर अथवा प्राथमिक सहकारी समिति का सदस्य है।)
9. यदि प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के सदस्य है तो समिति का नाम–
10. बैंक खाता सं0–
    (a) बैंक का नाम (b) शाखा का नाम (c) IFC Code
    (पासबुक की छाया प्रति संलग्न करें)
11. किस योजना का लाभ लेना चाहते हैं– (a)

    (b)
12. बुनकर द्वारा उत्पादित वस्त्र–
13. अटल पेंशन योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत बैंक में पंजीकृत होने का आवेदन तथा प्रिमियम राशि जमा करने का प्रमाण के रूप में बैंक खाता की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय।

घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त ब्यौरा हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन/सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहा हूँ। गलत पाये जाने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा हमारे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान–

दिनांक–

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

स्थल जाँच के उपरान्त तकनीकी पर्यवेक्षक/सहकारिता प्रसार पदा0/उद्योग विस्तार पदाधिकारी की अनुशंसा

तिथि– नाम, पदनाम

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी गया/भागलपुर की अनुशंसा

तिथि– नाम, पदनाम

बुनकर कल्याण कोष से अटल पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रिमियम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु दिशा–निर्देश एवं विहित प्रक्रिया।

क्रियान्वयन पदाधिकारी– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/भागलपुर, गया, के लिए उप विकास पदा0(वस्त्र)

योजना की पात्रता

वैसे बुनकर जो अटल पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में या किसी एक योजनान्तर्गत बैंक में पंजीकृत हो उन्हें निम्नवत राशि की प्रतिपूर्ति उनके बैंक खाता में RTGS द्वारा की जायेगी।

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रिमियम अधिकतम	भारत सरकार का अंश	बुनकर कल्याण कोष से प्रतिपूर्ति की राशि
1	अटल पेंशन योजना	1318/– रू0 प्रति वर्ष	प्रिमियम राशि का 50% या 1,000/–रू0 जो कम हो, प्रति वर्ष	प्रिमियम राशि का 50% या अधिकतम 318/–रू0 प्रति वर्ष
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	12 रू0 प्रति वर्ष	–	12 रू0 प्रति वर्ष

प्रक्रिया–

– पात्र आवेदक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन अपने जिला के क्रियान्वयन पदाधिकारी को जमा करेंगे, जिसकी प्राप्ति रसीद क्रियान्वयन पदाधिकारी आवेदक को उपलब्ध कराऐंगे।

– आवेदन पत्र के साथ बुनकर पहचान पत्र, बैंक खाता का फोटो कॉपी जिसमें आवेदक का नाम (फोटो सहित) बैंक शाखा का नाम, IFC कोड, बैंक खाता संख्या तथा मोबाईल नं0 का उल्लेख हो, संलग्न होना चाहिए।

– आधार कार्ड की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा।

– क्रियान्वयन पदाधिकारी, आवेदक का स्थल जाँच कर आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित करते हुए राशि प्रतिपूर्ति हेतु अनुशंसा करेंगे, तथा वांछित राशि की माँग करेंगे। साथ ही सभी प्रविष्टियों को Ms.Excel के Format में संधारण करेंगे।

बुनकर जो योजना के पात्र नहीं होंगे।

(i) जो बुनाई का कार्य नहीं कर रहे हो।

(ii) भारत सरकार, या राज्य सरकार द्वारा जिन्हें बुनकर पहचान पत्र निर्गत नहीं किया गया हो ।

(iii) भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी तरह के पेंशन एवं सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा हो।

(iv) बुनकर संबंधित जिला के निवासी नहीं हो।

9/12/16

निदेशक

हस्तकरघा एवं रेशम–सह–सदस्य सचिव

बिहार बुनकर कल्याण समिति, पटना।